न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 ...62.../19

तारीखरजू:– 23/9/19

उनवान:– सरलादेवी बनाम गीता उर्फ कमला वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
23/9/19	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार कंटक एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 25.10.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 6180/0.01, 6181/0.42, 7088/7531/0.02, 7089/0.33 कुल किता 4 कुल रकवा 0.78 है0 ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा एवं 2270/0.56, 2271/0.20, 2272/0.01, 2273/0.65, कुल किता 4 कुल रकवा 1.42 है0 ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी तक रिकार्ड व मौके की यथारिथति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25.10.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	57/10-15 23/9/19
25.10.19	आर की ओर से कार्य स्थगन। अप्रार्थी नं. 1,2,3 की रसीद AD शामिल। अप्रार्थी नं. 6 का नोटिस बाद तामील शामिल। शेष रसीद AD अप्राप्त। आइन्दा दि. 22.11.19 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

प्र.नं 62/19 – उत्तम सरलादेवी बनाम उनिता उर्फ कमला वगै०

दिनांक	फर्द अहकाम
24.11.19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी न. 6 के बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से मूल दावा मे एकपक्षीय कार्य० हो चुकी है इस प्रा०पत्र मे भी तामील मानी जाती है। अप्रार्थी न. 1 से 4 की ओर से श्री रमेश चंद सैनी Adv. ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। शामिल किया। प्रतिवादी नं. 5 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 5 का जवाब पेश करने दिनांक 5.12.19 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)
5.12.19	वकलाय उप०। अप्रार्थी नं. 5 का जवाब पेश करने दिनांक 6.1.20 को पेश हो।
6.1.20	वकलाय उप०। अप्रार्थी नं. 5 का जवाब पेश किया। शामिल किया। वास्ते बहस दिनांक 10.2.20 को पेश हो।
10.2.20	वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। मूल दावा बाबत घोषणा रास्तेदारी एवं तकासमा की प्रकृति का है इसलिए दावा के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित पाता हूँ। अत: प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर दिनांक 23.9.19 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावा के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि ख.नं. 6180/0.01, 7088/1.531/0.02 7089/0.33, 6181/0.42 स्थित ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा तथा ख.नं. 2270/0.56, 2271/0.20, 2272/0.01, 2273/0.65 स्थित ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा पर रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.02.11 15:52:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: